



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 1 अक्टूबर, 1984
आश्विन 9, 1906 शक संम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या-2045/सत्रह वि-1-1-(क)-24-1984

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 1984

अधिसूचना विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 30 सितम्बर, 1984 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाओं द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1984

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

जायगा।

1--(1)

यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2)

यह 12 अक्टूबर, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश
एक्ट संख्या 15
सन् 1948 की
धारा 3 का
संशोधन

नई धारा 3-ड
का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्--

“(ग) धारा 3-घ के अधीन विज्ञापित माल की बिक्री के विक्रय-घन, जहां ऐसा माल राज्य के भीतर क्रय न किया गया हो;”

3--मूल अधिनियम की धारा 3-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी--

“3--इ-कतिपय व्यापारियों पर अतिरिक्त कर--(1) प्रत्येक व्यापारी, जो अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, जिसके विक्रय-घन का कुल योग, जैसा कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, किसी कर-निर्धारण वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक हो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन देय कर के अतिरिक्त अतिरिक्त कर का देनदार होगा जिसकी गणना इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन उस कर निर्धारण वर्ष के लिए उसके द्वारा देय कर के पांच प्रतिशत की दर से की जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी द्वारा देय अतिरिक्त कर की गणना करने में, घोषित माल के क्रय या विक्रय के संबंध में इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) व्यापारी द्वारा अतिरिक्त कर का भुगतान उस मास का, जिसमें कर-निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ से संगणित ऐसा विक्रय-घन दस लाख रुपये से अधिक हो जाए, विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या उसके साथ किया जायगा और जहां उस मास का विवरण-पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया हो, वहां अतिरिक्त कर का भुगतान तत्पश्चात् प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम विवरण-पत्र के पूर्व या उसके साथ किया जाएगा। इस प्रकार देय कर, कर निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ होने वाली और ऐसे विवरण-पत्र के अन्तर्गत आने वाली अवधि के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए होगा और व्यापारी उस कर-निर्धारण वर्ष में समस्त अनुवर्ती अवधि के लिये कर-निर्धारण वर्ष के अन्त तक अतिरिक्त कर का देनदार बना रहेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर केवल 1 अक्टूबर, 1983 को प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिये देय होगा।”

धारा 3-ड
का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 3-ड के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्--

“3-ड--कतिपय बिक्री पर कर की विशेष दर--(1) धारा 3-क द्वारा धारा 3-ब में किसी बात के होते हुए भी, और उपधारा (2) के उपबन्धों और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग को या किसी केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या गठित किसी निगम या उपक्रम को या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी को (जो कोई नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, जिला परिषद्, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, कोई विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्था या किसी प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा तत्समय प्रबन्धित कोई संस्था न हो) बेचे गये माल के विक्रय-घन पर कर, यदि व्यापारी ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी से प्राप्त घोषणा-पत्र कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूप-पत्र में और ऐसी रीति से, और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी निर्धारित की जाए, प्रस्तुत करे, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर या ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, किसी बिक्री के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, लगाया और दिया जाएगा, जब तक कि माल इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उक्त दर से कम दर पर कर लगाने योग्य न हो।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी ऐसे माल की बिक्री पर लागू नहीं होंगे जिसे ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी द्वारा फिर से बेचने के लिए या बिक्री के लिए किसी

माल के निर्माण या पैकिंग में उपयोग करने के लिये क्रय किया जाए, या यदि ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कंपनी का कोई कार्यालय या अधिष्ठान उत्तर प्रदेश में स्थित न हो।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के प्रति माल क्रय करने के पश्चात्; कोई ऐसा विभाग, निगम, उपक्रम या कंपनी अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए उनका उपयोग न करे बल्कि उनका उपयोग या निस्तारण उपधारा (2) में उल्लिखित रीति से या किसी अन्य प्रकार से करे तो इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर, जिसके अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया जाना भी है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा विभाग, निगम, उपक्रम या कंपनी क्रय-कर के रूप में उतनी धनराशि का देवदार होगा जितनी इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर अन्यथा प्रयोज्य दर पर और उपधारा (1) के अधीन प्रयोज्य दर पर संगणित कर के अन्तर के बराबर हो।"

5—मूल अधिनियम की धारा 4-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्—

"4-क-विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कतिपय माल की बिक्री-कर से छूट—(1) धारा 3 या धारा 3-क में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी माल का उत्पादन बढ़ाने के लिये या सामान्य रूप से राज्य में या विशेष रूप से किसी जिले या उसके भाग में उद्योग के विकास की प्रोत्सति के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह प्रार्थना-पत्र देने पर या अन्यथा, विज्ञप्ति द्वारा, किसी माल के संबंध में यह घोषणा कर सकती है कि उस माल के निर्माता का विक्रय-धन, ऐसे निर्माता द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सात वर्ष से अतधिक अवधि के दौरान, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विनिर्दिष्ट की जायं, बिक्री-कर से मुक्त रहेगा या उस पर ऐसी कम दर से कर देय होगा जिसे राज्य सरकार तिथित करे।

(2) राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति में यह विनिर्दिष्ट करे कि कर से छूट या कर की दर में कमी निम्नलिखित के संबंध में अतुमन्य होगी:—

(क) सामान्यतया समस्त ऐसे माल के संबंध में जो ऐसी विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् निर्मित किया गया हो; या

(ख) उनमें से केवल ऐसे माल के संबंध में जो किसी नई इकाई में निर्मित किए जायं जिसके उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक पहली अक्टूबर, 1982 को या उसके पश्चात् पड़ता हो; या

(ग) केवल उस स्थिति में जब निर्माता ने किसी कर-निर्धारण वर्ष में लगातार छः मास से अधिक अवधि के लिये ऐसे माल का उत्पादन बन्द न कर दिया हो।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(1) "नई इकाई" का तात्पर्य किसी ऐसे कारखाने या कर्मशाला से है जिसमें ऐसी मशीन, साधन या संघटक पुर्जों का प्रयोग होता हो जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में न तो पहले से ही प्रयोग में लाए गए हों और न ही उसमें प्रयोग किए जाने के लिए अर्जित किए गए हों, किन्तु इसके अन्तर्गत वही माल निर्माण करने वाले किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के स्थल पर स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला या किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में कोई परिवर्धन या प्रसार नहीं है; और

(2) "उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक" का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जब विनिर्दिष्ट माल के निर्माण में या पैकिंग में प्रयोग के लिये अपेक्षित कोई कच्चा माल प्रथम बार क्रय किया जाए या बिजली का कनेक्शन, जहां आवश्यक हो, लगने के दिनांक से, जो भी पश्चात्पूर्वी हो।"

6—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्—

"(2-क)—उपधारा (1), (1-क), (1-ख), (1-ग), या (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसी औद्योगिक इकाई के संबंध में जिसको उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग स्थापित करने के लिये पात्रता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, ऐसी इकाई के प्रार्थना-पत्र पर, धारा 4-क के अधीन छूट के बदले में, देयों के भुगतान का दिनांक बढ़ा सकती है या भुगतान के लिये अधिस्थगन स्वीकृत कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी निर्धारित की जायं, देयों का किस्तों में भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकती है।"

धारा 4-क का प्रतिस्थापन

धारा 8 का संशोधन

धारा 8-क
का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्—

“(3) किसी रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किसी ऋता से कर वसूलने के प्रयोजनार्थ, व्यापारी द्वारा बेचे गए माल के मूल्य को निकटतम रूपों में पूर्णांकित किया जाएगा, अर्थात् पचास पैसे या उससे अधिक के भाग को एक रुपया गिना जाएगा और किसी अन्य भाग को छोड़ दिया जाएगा। जहाँ वसूल किये जाने वाले कर की धनराशि एक रुपये का ऐसा भाग हो जो पांच पैसे का गुणित न हो, वहाँ उसे पांच पैसे के निकटतम गुणित में पूर्णांकित किया जाएगा, अर्थात् ढाई पैसे से अधिक गुणित को पांच पैसे के अगले गुणित में पूर्णांकित किया जायेगा और किसी अन्य भाग को छोड़ दिया जाएगा।”

धारा 8-ग
का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 8-ग में,—

(क) उपधारा (1) से (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात्—

“(1) प्रत्येक व्यक्ति—

(क) जो 12 अक्टूबर, 1983 को या उसके पश्चात् धारा 4-ख, 8-क या 8-ख के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी करने या उसका नवीकरण करने के लिये प्रार्थना-पत्र देता है; या

(ख) जिसका ऐसी मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी करने या उसका नवीकरण करने का प्रार्थना-पत्र ऐसे दिनांक को विचाराधीन हो; या

(ग) जिसके पास ऐसे दिनांक के पूर्व से मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र हो, इस अधिनियम के अधीन देय या देययोग्य कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिये निर्धारित रीति से और, यथास्थिति, ऐसे दिनांक से या उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र देने के दिनांक से तीन मास के भीतर, यदि कर निर्धारण वर्ष के लिये उसका धारा 3 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट वास्तविक या अनुमानित विक्रय-धन दस लाख रुपये से अधिक हो तो नकद या बिक्री-कर कमिश्नर के पक्ष में गिरवी रखे गये राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में एक हजार रुपये की प्रतिभूति देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यापारी से, जो केवल धारा 4 के अधीन कर से छूट प्राप्त माल का व्यापार करता हो और इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित किसी रूप-पत्र का उपयोग न करता हो, इस उपधारा के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(1-क) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रतिभूति व्यापारी के, यथास्थिति, मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र प्रवृत्त रहने तक और तत्पश्चात् उस समय तक जब तक इस अधिनियम के अधीन देय कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि, चाहे इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के कारण या अन्यथा, उस पर बकाया रहती है, धृत रहेगी। नकद दी गई प्रतिभूति पर डाकघर बचत बैंक लेखा म- जमा धनराशि पर तत्समय प्रयोज्य दर पर साधारण व्याज दिया जाएगा।

(2) जहाँ कर निर्धारक अधिकारी को—

(क) इस अधिनियम के अधीन देय या देय योग्य किसी कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिए, या

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित रूप-पत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिए, या

(ग) मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकरण करने या उसको प्रभावी बने रहने के लिए एक शर्त के रूप में,

ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किए जायेंगे, ऐसे प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण के पूर्व या किसी समय जब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रवृत्त हो, निदेश दे सकता है कि व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति निर्धारित रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में

विनिर्दिष्ट किया जाय, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार से भिन्न किसी प्रकार की ऐसी प्रतिभूति या, यदि व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति ने प्रतिभूति पहले ही दे दी हो तो, ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देगा, जैसी उपर्युक्त सभी या किसी प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट की जाए :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति ऐसा चाहे तो वह मांगे गये प्रकार की प्रतिभूति देने के बजाय उसे उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दे सकता है।

(3) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा किसी व्यापारी, या सम्बद्ध व्यक्ति से उपधारा (2) के अधीन कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो, और ऐसी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति की धनराशि, कर निर्धारक अधिकारी के अनुमान से उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये, जिसमें ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाए, व्यापारी के विक्रय-धन पर देय कर से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।”

(ख) उपधारा (4) में, शब्द और श्रृंखला “उपधारा (1) या” निकाल दिए जायेंगे;

(ग) उपधारा (5) में, खण्ड (ख) में, शब्द और श्रृंखला “उपधारा (1)” के स्थान पर शब्द और श्रृंखला “उपधारा (2)” रख दिए जायेंगे; और

(घ) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्—

“(7) कर-निर्धारक अधिकारी, किसी ऐसे व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के उपबन्धों या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश या उपधारा (4) या उपधारा (6) के उपबन्धों का पालन न किया हो,—

(क) मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है, या

(ख) पहले से जारी किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र निलम्बित कर सकता है, या

(ग) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किन्हीं रूप-पत्रों को जारी करने से इन्कार कर सकता है,

जब तक व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे आदेश या ऐसे उपबन्धों का पालन न करे:

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।”

9—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (1) और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्—

“(1) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से, जो धारा 10—क में उल्लिखित आदेश से भिन्न हो, कुछ कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति आदेश की प्रति तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाए :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि एक हजार रुपये से अधिक न हो, वहां अपीलकर्ता, अपने विकल्प से, अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिए लिखित रूप में अपील सुनने वाले अधिकारी से अनुरोध कर सकता है जिस पर अपील सुनने वाला अधिकारी तदनुसार अपील को विनिश्चय कर सकता है।

(1—क) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए।

(1—ख) इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने कम से कम,—

(क) जहां कर-निर्धारण वर्ष के लिये सभी विवरण-पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हों, अपीलकर्ता द्वारा, प्रस्तुत विवरण-पत्रों में या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किए गए, इसमें जो भी अधिक हो, यथास्थिति, क्रय-धन या विक्रय-धन पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, या

धारा 9 का संशोधन

(ख) जहाँ कर निर्धारण वर्ष के लिए कुछ विवरण-पत्र प्रस्तुत न किए गए हों, या ऐसे वर्ष के लिये कोई भी विवरण-पत्र प्रस्तुत न किया गया हो, अपीलकर्ता द्वारा, प्रस्तुत विवरण-पत्रों में, यदि कोई हो, या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर, स्वीकार किए गए, यथास्थिति, क्रय-धन या विक्रय धन पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि या निर्धारित कर या शुल्क की धनराशि के बीस प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो,

का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी, ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, खण्ड (ख) की निर्धारित कर या शुल्क की धनराशि का बीस प्रतिशत जमा करने से संबंधित अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है।”;

(ख) उपधारा (3) में, प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा; अर्थात्—

“अपील सुनने वाला अधिकारी सुनगत अभिलेख मंगाने और उनकी जांच करने के पश्चात् और अपीलकर्ता और बिक्री-कर कमिश्नर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, या, यथास्थिति, उपधारा (1-क) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्”;

(ग) उपधारा (3-क) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

“(3-क) अपील सुनने वाला अधिकारी,—

(क) ऐसे मामले में, जिसमें अपीलकर्ता उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अनुरोध करता है, अपीलकर्ता द्वारा देय कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली को अपील का निस्तारण किये जाने तक स्थगित करेगा; और

(ख) किसी अन्य मामले में, अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर और बिक्री-कर कमिश्नर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपीलकर्ता द्वारा देय कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली को अपील का निस्तारण किये जाने तक स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) खण्ड (ख) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे उपधारा (1) के अधीन अपील के श्रापन के साथ या तत्पश्चात् अपील प्रस्तुत करने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जाय और जब तक कि अपीलकर्ता ने उपधारा (1-ख) के अधीन उसके द्वारा जमा किए जाने के लिये अपेक्षित कर या शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त, यथास्थिति, कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक-तिहाई के भुगतान का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो;

(2) अपील सुनने वाला अधिकारी ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की एक-तिहाई धनराशि का भुगतान करने के संबंध में पूर्ववर्ती खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है;

(3) इस उपधारा के अधीन कोई स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलकर्ता ने उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उस धनराशि के भुगतान के लिये, जिसकी वसूली स्थगित की गयी हो, कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो।

स्पष्टीकरण—किसी अधिकारी द्वारा स्थगन के लिये उसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र को अधिकांश के अभाव में अस्वीकार किये जाने मात्र से अपील सुनने वाला अधिकारी ऐसे प्रार्थना-पत्र को ग्रहण करने से प्रवारित नहीं होगा।

(4) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(4-क) ऐसी अपील में, जिसका संक्षिप्त निस्तारण कर दिया गया है, दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।”

10—मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी; अर्थात्—

“(2) अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा धारा 9 के अधीन दिये गये आदेश से, जो उस धारा की उपधारा (4-क) में निर्दिष्ट आदेश से भिन्न हो, या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा धारा 10-ख के अधीन दिये गये आदेश से या धारा 35 के अधीन बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा दिये गये विनिश्चय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय की प्रति उस पर तामील किए जाने के दिनांक से छः मास के भीतर अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि एक हजार रुपए से अधिक न हो, वहां अपीलकर्ता, अपने विकल्प से, अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिये अधिकरण से लिखित अनुरोध कर सकता है जिसके उपरान्त अधिकरण तदनुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, बिक्री-कर कमिश्नर से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में पद ‘कोई व्यक्ति’ के अन्तर्गत बिक्री-कर कमिश्नर भी है।

(2-क) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाय।”

(ख) उपधारा (5) में, प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्—

“अधिकरण, यदि उसने उपधारा (4) के अधीन अपील पहले ही खारिज न कर दी हो, सुसंगत अभिलेख मंगाने और उनका परीक्षण करने के पश्चात् और पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या, यथास्थिति, उपधारा (2-क) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्,—”

11—मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (1) और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(1) धारा 10 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश से, जो उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के आदेश से भिन्न हो, या अधिकरण द्वारा धारा 22 के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसा आदेश तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय में इस आधार पर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है कि मामले में विधि-प्रश्न अन्तर्गत है।”;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द “उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी” के स्थान पर शब्द और अंक “27 अप्रैल, 1978 के ठीक पूर्व थी जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है” रख दिये जायेंगे।

12—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (2) में, अन्त में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन (:) रख दिया जायगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

“प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वर्ग के निर्माताओं की स्थिति में, जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में विक्रय-धन का कुल योग, जैसा कि धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट है, पांच लाख रुपए से अधिक न हो, बिक्री-कर कमिश्नर इस उपधारा की अपेक्षाओं को, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विनिश्चय करना उपयुक्त समझे, शिथिल कर सकता है।”

धारा 10 का संशोधन

धारा 11 का संशोधन

धारा 12 का संशोधन

धारा 13-क का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 13-क में,--

(क) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

“(6) माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, यथास्थिति, व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति पर लिखित आदेश तामील करेगा, जिसमें ऐसे अभिग्रहण का तथ्य उल्लिखित होगा और ऐसी धनराशि इंगित की जाएगी, जो उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जो आरोपित किए जाने के लिये संभाव्य अर्थदंड को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, जिसके नकद (जिसमें बैंक ड्राफ्ट भी है) जमा करने पर, इस प्रकार अभिग्रहीत माल को, यथास्थिति, व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति के पक्ष में छोड़ा जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि बिक्री-कर कमिश्नर या असिस्टेंट बिक्री-कर कमिश्नर से अतिमन्य पद का ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, निदेश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किए या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर या ऐसे प्रकार से जो नकद से भिन्न हो, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाए।”

(ख) उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्--

“(10) यदि उपधारा (6) के अधीन जमा की गई धनराशि उपधारा (4) के अधीन आरोपित अर्थदंड की धनराशि से अधिक हो तो इस प्रकार जमा की गई अधिक धनराशि उस अधिकारी द्वारा जिसके पास वह जमा की गई हो, यथास्थिति, व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति को धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जाएगी।”

धारा 24 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (5) निकाल दी जाएगी।

धारा 36 का प्रतिस्थापन

15--मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्--

“36--किस्त मंजूर करने का अधिकार-- (1) ऐसी शर्तों और निर्वन्धनों के, जिसके अन्तर्गत कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार प्रतिभूति देने से संबंधित शर्त भी है, अधीन रहते हुए, जैसी आरोपित किए जाने के लिये उपयुक्त समझी जाए,--

(क) राज्य सरकार ऐसे किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति को जिस पर कर, अर्थदंड या अन्य देय की धनराशि बकाया हो, चौबीस से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकती है; और

(ख) बिक्री-कर कमिश्नर, उसी तरह, ऐसे किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति को जिस पर कर, अर्थदंड या अन्य देय की धनराशि, जिसका कुल योग एक लाख रुपए से अधिक न हो, बकाया हो, बारह से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि जमा करने की अनुमति दे सकता है।

(2) जहां ऐसा व्यापारी या अन्य व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के साठ दिन के भीतर बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है या ऐसे आदेश में आरोपित शर्तों या निर्वन्धनों का पालन करने में असफल रहता है, वहां देय धनराशि तुरन्त वसूल की जा सकेगी।”

अनुसूची का संशोधन

16--मूल अधिनियम की अनुसूची में,--

(क) क्रम संख्या 63 के सामने स्तम्भ-2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात्--

“सोडावाटर, लेमनेड, फल का रस (फूट जूस) और अन्य मृदु पेय और शारबत (सीरप), स्कर्विश, जैम और जेली।” और

(ख) क्रम संख्या 74 के उपमद (4) के सामने स्तम्भ-2 की प्रविष्टि में, अन्त में, शब्द “और ऐसे उपकरण, यंत्र और साधन के संघटक भाग, पुर्जे और सहायक सामान” बढ़ा दिए जायेंगे।

17--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 म, उपधारा (1) में, शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिए जाएंगे और सदैव से रखे गए समझे जाएंगे।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
33 अन् 1979
की धारा 6 का
संशोधन

18--(1) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम और धारा 17 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी० एल० लूम्बा,
सचिव।

No. 2045(2)/XVII-V-1—1(Ka)24-1984

Dated Lucknow, October 1, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bikri Kar (Shanshodhan) Adhinyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 22 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 30, 1984:

THE UTTAR PRADESH SALES TAX (AMENDMENT) ACT, 1984

[U.P. Act no. 22 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1984.

Short title and
commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 12, 1983.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (2), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

Amendment of
section 3 of U.P.
Act no. XV of
1948.

"(c) sale of goods notified under section 3-D where such goods have not been purchased within the State;"

3. After section 3-D of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of
new section 3-E.

"3-E. Additional tax on certain dealers—(1) Every dealer liable to pay tax under this Act, the aggregate of whose turnover, as referred to in sub-section (2) of section 3, exceeds ten lakh rupees in any assessment year, shall, in addition to the tax payable under any other provision of this Act, be liable to pay an additional tax calculated at the rate of five per cent of the tax payable by him for that assessment year under the other provisions of this Act :

Provided that in calculating the additional tax payable by the dealer, the tax payable under the other provisions of this Act in respect of sales or purchases of declared goods shall not be taken into consideration.

(2) The additional tax shall be paid by the dealer before furnishing, or along with, the return for the month in which such turnover as computed from the commencement of the assessment year first exceeds ten lakh rupees and where return for that month has already been filed the additional tax shall be paid before filing, or along with, the first return filed thereafter. The tax so payable shall be for the period commencing with the assessment year and ending with the period covered by such return, and the dealer shall continue to be liable to pay the additional tax for the assessment year for all the subsequent periods till the end of that assessment year :

Provided that the additional tax in respect of the assessment year 1983-84 shall be payable only for the period commencing on October 1, 1983.

Substitution of section 3-G.

4. For section 3-G of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

“3-G. *Special rate of tax on certain sales*—(1) Notwithstanding anything contained in section 3-A or section 3-D, and subject to the provisions of sub-section (2) and such conditions and restrictions, if any, as may be specified by the State Government by notification, the tax on the turnover of sales of goods to a department of the Central Government or of a State Government, or to a Corporation or Undertaking established or constituted by or under a Central Act or an Uttar Pradesh Act, or to a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (not being a Nagar Mahapalika, Municipal Board, Zila Parishad, Town Area Committee, Notified Area Committee, Cantonment Board, a University or an educational institution or an institution managed for the time being by an authorised controller) shall, if the dealer furnishes to the assessing authority a declaration obtained from such department, corporation, undertaking or company in such form and manner, and within such period, as may be prescribed, be levied and paid at the rate for the time being specified in sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956, or at such rate as the State Government may, by notification, specify in relation to any sales, unless the goods are taxable under any other section of this Act at a rate lower than the said rate.

(2) The provisions of sub-section (1) shall not apply to the sale of any goods which are purchased by such department, corporation, undertaking or company for re-sale or for use in the manufacture or packing of any goods for sale, or if such department, corporation, undertaking or company has no office or establishment situated in Uttar Pradesh.

(3) If, after purchasing goods against the declaration referred to in sub-section (1), any such department, corporation, undertaking or company does not put them to use for its own requirements but uses or disposes of the same either in the manner mentioned in sub-section (2) or otherwise, such department, corporation, undertaking or company shall, without prejudice to any other action, including the imposition of penalty, that may be taken under this Act, be liable to pay as purchase tax an amount equal to the difference of tax calculated at the rate otherwise applicable to the sale of such goods under this Act and that applicable under sub-section (1).”

Substitution of section 4-A.

5. For section 4-A of the principal Act, the following section shall be substituted namely :—

“4-A. *Exemption from sales tax of certain goods for specified period*—(1) Notwithstanding anything contained in section 3 or section 3-A, where the State Government is of the opinion that it is necessary so to do for increasing the production of any goods or for promoting the development of industry in the State generally or in any districts or parts of districts in particular, it may on application or otherwise, by notification, declare that the turnover of sales in respect of such

goods by the manufacturer thereof shall, during such period not exceeding seven years from the date of starting production by such manufacturer, and subject to such conditions as may be specified, be exempt from sales tax or be liable to tax at such reduced rate as it may fix.

(2) It shall be lawful for the State Government to specify in the notification under sub-section (1) that the exemption from, or reduction in the rate of tax, shall be admissible—

(a) generally in respect of all such goods manufactured subsequent to the date of such notification; or

(b) in respect of such of those goods only as are manufactured in a new unit, the date of starting production whereof falls on or after the first day of October, 1982; or

(c) only if the manufacturer had not discontinued production of such goods for a period exceeding six months at a stretch in any assessment year.

Explanation—For the purposes of this section,—

(i) 'new unit' means a factory or workshop using machinery, accessories or components not already used or acquired for use in any other factory or workshop in India but does not include any factory or workshop established on the site of an existing factory or workshop manufacturing the same goods or any addition to or extension of an existing factory or workshop; and

(ii) 'date of starting production' means the date on which any raw material required for use in the manufacture or packing of the specified goods is purchased for the first time or the date of installation of power connection, where needed, whichever is later."

6. In section 8 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

Amendment of section 8.

"(2-A) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (1-A), (1-B), (1-C) or (2), the State Government may, in respect of an Industrial Unit to which an Eligibility Certificate has been granted by the Director of Industries, Uttar Pradesh for setting up an industry in Uttar Pradesh, on the application of such unit, in lieu of exemption under section 4-A, extend the date of payment, or grant a moratorium for payment, of the dues and allow payment of the dues thereafter in instalments, subject to such conditions as may be prescribed."

7. In section 8-A of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

Amendment of section 8-A.

"(3) For the purposes of realisation of the tax by a registered dealer from a purchaser under sub-section (2), the price of goods sold by the dealer shall be rounded off to the nearest rupee, that is to say, a fraction of fifty paise or over shall be counted as one rupee and any other fraction shall be ignored. Where the amount of tax to be realised works out to a fraction of a rupee which is not a multiple of five paise, it shall be rounded off to the nearest multiple of five paise, that is to say, a fraction of more than two and a half paise shall be rounded off to the next multiple of five paise and any other fraction shall be ignored."

8. In section 8-C of the principal Act,—

Amendment of section 8-C.

(a) for sub-sections (1) to (3), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(1) Every person—

(a) who makes an application for the issue or renewal of a recognition certificate or a certificate of registration or provisional registration under sections 4-B, 8-A or 8-B on or after October 12, 1983, or

may be, after following the procedure prescribed under sub-section (1-A).";

(c) for sub-sections (3-A) and (4), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(3-A) The appellate authority :—

(a) shall in a case where the appellant makes a request under the proviso to sub-section (1) ; and

(b) may, in any other case on the application of the appellant and after giving the Commissioner of Sales Tax a reasonable opportunity of being heard,

stay the realisation of the amount of tax, fee or penalty payable by the appellant till the disposal of the appeal :

Provided that—

(i) no application under clause (b) shall be entertained unless it is filed along with the memorandum of appeal under sub-section (1) or thereafter within sixty days from the date of filing of the appeal and unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one-third of the disputed amount of tax, fee or penalty, as the case may be, in addition to the amount of tax or fee required to be deposited by him under sub-section (1-B);

(ii) the appellate authority may for special and adequate reasons to be recorded in writing, waive or relax the requirement of the preceding clause regarding payment of one-third amount of the disputed tax, fee or penalty;

(iii) no stay order under this sub-section shall remain in force for more than thirty days, unless the appellant has, before the expiry of the said period, furnished security to the satisfaction of the assessing authority for payment of the amount, the realisation whereof has been stayed.

Explanation—Rejection of a similar application for stay by any authority for want of jurisdiction shall not by itself preclude the appellate authority from entertaining such application.

(4) An order passed under this section shall, subject to the provisions of this Act, be final.

(4-A) No appeal or revision shall lie against an order passed in appeal which has been disposed of summarily.”

Amendment of section 10.

10. In section 10 of the principal Act,—

(a) for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(2) Any person aggrieved by an order passed by an appellate authority under section 9, other than an order referred to in sub-section (4-A) of that section, or by the revising authority under section 10-B or by a decision given by the Commissioner of Sales Tax under section 35 may, within six months from the date of service of the copy of such order or decision on him, prefer an appeal to the Tribunal :

Provided that where the disputed amount of tax, fee or penalty does not exceed one thousand rupees, the appellant may, at his option, request the Tribunal in writing for summary disposal of his appeal, whereupon the Tribunal may decide the appeal accordingly.

Explanation : For the purpose of this sub-section, the expression ‘any person’, in relation to any order passed by an authority other than the Commissioner of Sales Tax, includes the Commissioner of Sales Tax.

(2-A) The manner and procedure of summary disposal of appeal shall be such as may be prescribed.”;

(b) in sub-section (5), for the opening paragraph, the following shall be substituted, namely :—

“The Tribunal may, if it has not already, dismissed the appeal under sub-section (4), after calling for and examining the relevant records, and after giving the parties a reasonable opportunity of being heard or as the case may be, after following the procedure prescribed under sub-section (2-A)”.

11. In section 11 of the principal Act,

Amendment of section 11.

(a) for sub-section (1) and the proviso thereto, the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(1) Any person aggrieved by an order made under sub-section (4) or sub-section (5) of section 10, other than an order under sub-section (2) of that section summarily disposing of the appeal, or by an order passed under section 22 by the Tribunal may, within ninety days from the date of service of such order, apply to the High Court for revision of such order on the ground that the case involves any question of law.”;

(b) in sub-section (2), after the words “under this section as it stood immediately before”, the words and figures “April 27, 1978, hereinafter referred to as” shall be inserted.

12. In section 12 of the principal Act, in sub-section (2), the full-stop (.) at the end shall be substituted by a colon (:), and the following proviso shall thereafter be inserted, namely :—

Amendment of section 12.

“Provided that in the case of any class of manufacturers, the aggregate of whose turnover, as referred to in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of section 3, in an assessment year does not exceed five lakh rupees, the Commissioner of Sales Tax may relax the requirements of this sub-section subject to such conditions and restrictions as he may deem fit to specify.”

13. In section 13-A of the principal Act,—

(a) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely :—

Amendment of section 13-A.

“(6) The Officer seizing the goods shall serve on the dealer or, as the case may be, the person incharge an order in writing mentioning the fact of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on deposit whereof, in cash (which includes bank draft) the goods so seized may be released in favour of the dealer or, as the case may be, the person incharge :

Provided that the Commissioner of Sales Tax or such other officer, not below the rank of an Assistant Commissioner of Sales Tax, as may be authorised in this behalf by the Commissioner of Sales Tax, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that the goods be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in such nature other than cash, as he may deem fit.”;

(b) after sub-section (9), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(10) If the amount deposited under sub-section (6) is more than the amount of penalty imposed under sub-section (4), the excess amount so deposited shall be refunded to the dealer or, as the case may be, the person incharge by the authority with whom it was so deposited in accordance with the provisions of section 29.”

14. In section 24 of the principal Act, sub-section (5) shall be omitted.

Amendment of section 24.

15. For section 36 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Substitution of section 36.

“36. Power to grant instalments—(1) Subject to such conditions and restrictions, including the condition regarding furnishing security to the

satisfaction of the assessing authority, as may be deemed fit to be imposed,—

(a) the State Government may permit any dealer or other person, against whom any amount of tax, penalty or other dues is outstanding, to pay the amount in such number of monthly instalments, not exceeding twenty-four, as it may consider proper in the circumstances of the case; and

(b) the Commissioner of Sales Tax may likewise permit any dealer or other person, against whom any amount of tax, penalty or other dues aggregating not more than one lakh rupees is outstanding, to deposit the same in such number of monthly instalments, not exceeding twelve, as he may consider proper in the circumstances of the case.

(2) Where such dealer or other person fails to furnish, within sixty days of the order referred to in sub-section (1), adequate security to the satisfaction of the assessing authority concerned for payment of the outstanding amount, or fails to comply with the conditions or restrictions imposed in such order, the amount due shall be recoverable at once."

Amendment of Schedule.

16. In the Schedule to the principal Act,—

(a) for the entry in column II against serial no. 63, the following entry shall be substituted, namely :—

"Sodawater, lemonade, fruit-juices and other soft beverages, and syrups, squashes, jams and jellies."; and

(b) in the entry in column II against sub-item (4) of serial no. 74, the words "and components, parts and accessories of such equipments, instruments and appliances" shall be inserted at the end.

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 33 of 1979.

17. In section 6 of the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1979, in sub-section (1), for the words "four years", the words "six years" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Repeal and saving.

18. (1) The Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) (Second) Ordinance, 1984 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act and the Act referred to in section 17, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

O.
no.
19